



कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय जैजैपुर जिला – सक्ती (छ.ग.)

Email – jaijaipurcollege@gmail.com

Website – www.govtcollegejaijaipur.in

क्र./164/अतिथि, व्या./स्था./2023

जैजैपुर, दिनांक 12/07/23
सत्र 2023–24

—: अतिथि व्याख्याता आमंत्रण :—

इस महाविद्यालय में सत्र 2023–24 के लिए सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद के विरुद्ध अध्यापन व्यवस्था हेतु अतिथि व्याख्याता के लिए अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर के पत्र क्रं. 504/126/आउशि/राज.स्था./2023 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 10/07/2023 के परिपालन में अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन कार्य हेतु दिनांक 22/07/2023 तक कार्यालयीन समय पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

क्रं.	विषय	रिक्त पद की संख्या	रिमार्क
01	हिन्दी	01	

- टीप :-01 चयन मेरिट के आधार पर एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग/यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर होगा।
- 02 अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जावेगा।
- 03 गुणानुक्रम में चयनित आवेदकों का स्वच्छ छवि हो एवं महाविद्यालय में फीड-बैक भी अनुशासित एवं कर्तव्य निष्ठ हो। यदि किसी चयनित आवेदकों के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत होगी तो चयन समिति एवं प्राचार्य का यह अधिकार होगा की उनके स्थान पर दूसरे क्रम को प्राथमिकता दिया जा सकेगा।
- 04 चयनित उम्मीदवार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य के अतिरिक्त महाविद्यालय के गुणवत्ता एवं छात्र/छात्राओं के कैरियर निर्माण के लिए समय देना होगा, इस दृष्टि से अतिथि व्याख्याताओं को महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थिति देना होगा इस आशय का शपथ पत्र भी उन्हें कार्यभार ग्रहण करते समय नोटरी से बनवाकर देना होगा, उसके लिए उन्हें अलग से पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
05. चयनित उम्मीदवार को सभी डिग्री/प्रमाण पत्रों की सत्यता, पुलिस/न्यायालयीन प्रकरण संबंधी एवं किसी अन्य शासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं, संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
06. माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जावेगा।
07. लोक सेवा आयोग से नियुक्ति/स्थानान्तरण/शासन के आगामी आदेश होने पर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के प्राचार्य समाप्त कर सकेंगे।
- 08 चयनित व्याख्याता महाविद्यालय के स्थापना अन्तर्गत नहीं माने जायेंगे और न ही भविष्य में नियमित नियुक्ति का आधार होगा।


प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय जैजैपुर
जिला – सक्ती (छ.ग.)

जैजैपुर, दिनांक 12/07/23

पृ.क्र./165/अतिथि व्या./स्था./2023

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
- अपर संचालक क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग बिलासपुर को सूचनार्थ।
- कलेक्टर जिला – सक्ती छ.ग. को सूचनार्थ।
- प्राचार्य टी.सी.एल. अग्रणी महाविद्यालय जांजगीर को सूचनार्थ।
- कार्यालयीन प्रति।


प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय जैजैपुर
जिला – सक्ती (छ.ग.)